न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

भागीरथ ..... बनाम ..... भगवाना .....

नाम मुकदमा ..... T.I ..... मु.नं. ..... 94 ..... वर्ष ..... 2015 .....

दिनांक	आज्ञा पत्र	
[illegible]	प्रार्थी पेश। अधि. उपस्थित हाजिर। वहम अधि. उपस्थित हुई गई है। वहम परमनन किया गया एवं प्रार्थी पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वहम अधि. प्रार्थी मुताबिक आवेदन थी तथा वहम अधि. अप्रार्थी मुताबिक जवाब रही। मुकदमा करोड़ का है। दौरान वाद विवादित भूमि के मौके की यथास्थिति में परिवर्तन करने पर प्रार्थी के हित विरुद्ध प्रभावित होगा है अतः अप्रार्थी गण को विवादित भूमि के मौके की यथास्थिति का यथावत जैसे का तैसा पालन किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी को स्वीकार किया जाता है कि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पालन किया जाता है कि वे विवादित भूमि ख.नं. 821 रकबा 0.32 हैक्टर वाले ग्राम डुकाना के बाल तहसील दांतारामगढ़ की भूमि पर मौके की यथास्थिति तादौरानेवाद बनाये रखे तथा मौके पर प्रचलित रास्ते को उपयोग किसी प्रकार से बाधित नहीं करें। प्रार्थी के सलाह कुमार होकर नाम से कम है, दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया।	

उपखण्ड अधिकारी
सीकर (राज.)